

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमति क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 331]

नवा रायपुर, बुधवार, दिनांक 16 अप्रैल 2025 — चैत्र 26, शक 1947

आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 15 अप्रैल 2025

अधिसूचना

प्रारूप नगर विकास योजना की संस्वीकृति (छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 50 की उप-धारा (5) (1) (एक) के अनुसार)

क्रमांक एफ 07-07 / 2025 / 32.— छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 50 की उप-धारा (4) के अधीन नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण द्वारा ग्राम बरौदा, रमचंडी, रीको और मंदिर हस्सौद, तहसील आरंग एवं ग्राम सेरीखेड़ी और नकटी, तहसील रायपुर के अंतर्गत कुल 436.0152 हेक्टेयर क्षेत्र के लिए नगर विकास योजना का प्रारूप तैयार किया गया है। उक्त नगर विकास योजना के प्रारूप को, छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 50 की उप-धारा (3) के अधीन प्रारूप नगर विकास योजना के प्रकाशन की तिथि से 30 दिन के भीतर प्राप्त आपत्तियों और सुझावों पर विचारोपरांत तैयार किया गया है।

राज्य शासन, एतद्वारा, छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 50 की उप-धारा (5) (1) (एक) के अधीन उक्त नगर विकास योजना के प्रारूप को संस्वीकृत करता है। उक्त नगर विकास योजना के प्रारूप की एक प्रति, इस अधिसूचना के छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 30 दिवस तक, निम्नलिखित कार्यालयों में कार्यालय समय के दौरान निरीक्षण के लिए उपलब्ध है —

- (1) नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण
- (2) संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, रायपुर
- (3) जिला कलेक्टर, जिला रायपुर

उक्त नगर विकास योजना के प्रारूप की प्रति नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण की आधिकारिक वेबसाइट <https://navaraipuratalnagar.com> पर भी उपलब्ध कराई गई है।

2. यह अधिसूचना, छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 50 की उप-धारा (2) के अंतर्गत उक्त नगर विकास योजना तैयार करने के आशय से संबंधित पूर्व में प्रकाशित सूचना क्रमांक 2063 / 5(1) / नि.प्र. / 2023 दिनांक 14 मार्च 2023, धारा 50—के अंतर्गत उक्त नगर विकास योजना के कुछ क्षेत्रों को विमुक्त कर, नगर विकास योजना के क्षेत्र में संशोधन की अनुवर्ती सूचना क्रमांक 10478 / 5(1) / नि.प्र. / 2023 दिनांक 24 दिसंबर 2024 तथा धारा 50 की उप-धारा (3) के अंतर्गत उक्त नगर विकास योजना के प्रारूप के प्रकाशन की अनुवर्ती सूचना क्रमांक 10502 / 5(1) / नि.प्र. / 2024 दिनांक 26 दिसंबर 2024 के अनुक्रम में है।

3. इस अधिसूचना में यहां प्रकाशित भूखंडों की सूची को भू—स्वामित्व या भू—अभिलेखों के सत्यापन के रूप में नहीं माना जाएगा, जो कि छत्तीसगढ़ शासन के राजस्व विभाग के अद्यतन भू—अभिलेखों के अनुसार सत्यापन के अधीन होगा। छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 50 की उप-धारा (8) के अधीन योजना को अंतिम रूप देने

के बाद अंतिम भूखंडों का आवंटन और उसके बाद अंतिम भूखंडों का कब्जा, भूस्वामी के अद्यतन और प्रमाणित भू-स्वामित्व अभिलेखों के उचित सत्यापन के बाद किया जाएगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सी.तिर्की, संयुक्त सचिव.

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 15 अप्रैल 2025

क्रमांक एफ 07-07 / 2025 / 32.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुशरण में प्रारूप नगर विकास योजना की संस्थीकृति संबंधी इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 15-04-2025 का हिन्दी एवं अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सी.तिर्की, संयुक्त सचिव.

Nava Raipur Atal Nagar, the 15th April 2025

NOTIFICATION

SANCTION OF DRAFT TOWN DEVELOPMENT SCHEME

(As per Sub-Section (5) (1) (i) of Section 50 of Chhattisgarh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973)

No. F 07-07/2025/32.— Notice is hereby given that, the Draft Town Development Scheme has been prepared by Nava Raipur Atal Nagar Vikas Pradhikaran for the area of 436.0152 hectare in the Village Baroda, Ramchandi, Reiko and Mandir Hasuad of Tehsil Aarang and Village Serikhedi and Nakati of Tehsil Raipur under Sub-Section (4) of Section 50 of the Chhattisgarh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973, after considering the objections and suggestions received within 30 days of publication of Draft Town Development Scheme under Sub-Section (3) of Section 50 of the Chhattisgarh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973.

The State Government, hereby, sanctions the draft town development scheme under Sub-Section (5) (1) (i) of Section 50 of Chhattisgarh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973. A copy of the draft Town Development Scheme is available for inspection during office hours at the following offices for 30 days from the date of publication of this notification in the Chhattisgarh Gazette :-

- (1) Nava Raipur Atal Nagar Vikas Pradhikaran
- (2) Joint Director, Town and Country Planning, Raipur
- (3) District Collector, Raipur District

A copy of the draft of the said Town Development Scheme has also been made available on the official website of Nava Raipur Atal Nagar Development Authority at <https://navaraipuratalnagar.com>.

2. This notification is in continuation of the earlier published notice No. 2063/5(1)/Ni.Pr/2023 dated 14 March 2023, under Sub-Section (2) of Section 50 of the Chhattisgarh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973, regarding intention to prepare the said town development scheme, Subsequent notice No. 10478/5(1)/Ni.Pr/2023 dated 24 December 2024, under Section 50-A, regarding amendment in the area of the Town development Scheme, by excluding certain areas of the said Town development Scheme and subsequent notice No. 10502/5(1)/NP/2024 dated 26th December, 2024, regarding the publication of the draft of the said town development scheme under Sub-Section (3) of Section 50.

3. The list of plots published herein this notification shall not be considered as validation of ownership or land records, which shall be subject to verification as per the updated land records of Revenue Department of Government of Chhattisgarh. The allotment of the final Plots and subsequent possession of the final Plot thereon after the finalization of scheme under Sub-Section (8) of Section 50 of Chhattisgarh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973 shall be done after due verification of updated and certified land records of the land owner.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
C.TIRKEY, Joint Secretary.